

भारत सरकार
Government of India



भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण,
Geological Survey of India
केंद्रीय मुख्यालय, राजभाषा अनुभाग
Central Headquarter, OL Section
29, जवाहर लाल नेहरू रोड/29, J.L.N. Rd.
कोलकाता / Kolkata- 700016
फैक्स/फोन नं.- 033-22522011/ IP-01047
ई-मेल आईडी - ddolchq@gsi.gov.in
ddolchq@gmail.com

दिनांक : 08.04.2019

सं. 83-122 /ई. 14011/1/2018/53/हिन्दी

सेवा में,

अपर महानिदेशक एवं विभागाध्यक्ष/मिशन प्रमुख/
उप महानिदेशक/कार्यालय अध्यक्ष/प्रभारी निदेशक,
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण,
समस्त क्षेत्रीय एवं राज्य इकाई कार्यालय/प्रशिक्षण संस्थान/
सुदूर संवेदन एवं हवाई सर्वेक्षण/ समुद्री तटीय सर्वेक्षण प्रभाग/महानिदेशक का कार्यालय,
कोलकाता/जयपुर/नागपुर/लखनऊ/हैदराबाद/बंगलूरु/शिलांग/नईदिल्ली/पटना/रांची/
देहरादून/फरीदाबाद/गांधीनगर/भोपाल/जबलपुर/रायपुर/पुणे/चंडीगढ़/जम्मू/चेन्नई/इटानगर/
अगरतला/दीमापुर/गुवाहाटी/गंगटोक/मंगलोर/कोच्ची/विशाखापतनम/भुवनेश्वर/तिरुवनंतपुरम

विषय : राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट के साथ प्रमाण-पत्र प्रेषित करने के संबंध में।

महोदय,

उक्त विषय पर भारत सरकार, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय जापन सं. 12016/07/2018-रा.भा.(का-2) दिनांकित 10.01.2019 की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि आपके कार्यालय से प्रेषित राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट को उक्त कार्यालय जापन में दिए गए प्रमाण-पत्र के साथ ही भेजना सुनिश्चित करें। इस प्रमाण-पत्र के बिना कोई तिमाही रिपोर्ट स्वीकार नहीं की जाएगी। यह प्रमाण-पत्र संबंधित कार्यालय के प्रधान द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

संलग्न : राजभाषा विभाग का कार्यालय जापन

भवदीय,
घ.गो.गो.ई
०८/०४/१९
(घनश्याम गौन्नाडे)

उप महानिदेशक एवं राजभाषा अधिकारी

सं. 123 /ई. 14011/1/2018/53/हिन्दी

दिनांक : 08.04.2019

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु :-

निदेशक, भूआंकड़ा प्रभाग, भाभूस, केमु, कोलकाता से अनुरोध है कि इस पत्र को भाभूस वेबसाइट पर अपलोड करवाने की कृपा करें।

घ.गो.गो.ई
०८/०४/१९
(घनश्याम गौन्नाडे)


उप महानिदेशक एवं राजभाषा अधिकारी

कार्यालय जापन

राजभाषा विभाग द्वारा लिए गए निर्णयानुसार राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट के प्रोफार्मा में संशोधन/परिवर्तन किया गया है। हिंदी से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्टों में केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों/बैंकों आदि द्वारा तथ्यपरक आंकड़ों को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक कार्यालय आदि को विभागाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित निम्नलिखित प्रमाण पत्र भी देना होगा-

"मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि संलग्न को समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट(भाग-1/2) में दी गई सूचना उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बनाई गई है तथा मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतया सत्य है। मैं यह अच्छी तरह समझता हूँ कि राजभाषा अधिनियम एवं राजभाषा नियम 1976 के उपबन्धा में दिए गए निर्देशों के समुचित अनुपालन की जिम्मेदारी अधोहस्ताक्षरी की है। यदि किसी स्टेज पर रिपोर्ट में भरे गए आंकड़े असत्य अथवा बढ़ा-चढ़ा कर दिखाए गए पाए जाते हैं तो इस कार्यालय को अगले 03 वर्षों के लिए राजभाषा पुरस्कार से वंचित कर दिया जाएगा तथा गलत सूचना देने के लिए कार्रवाई हेतु मामला मेरे नियंत्रक कार्यालय/मंत्रालय के संज्ञान में भी लाया जाएगा।"

2. उक्त प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय के प्रधान द्वारा हस्ताक्षरित होगा और पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करना अनिवार्य होगा। इस प्रमाण पत्र के बिना कोई तिमाही प्रगति रिपोर्ट स्वीकार्य नहीं होगी।
3. उक्त प्रमाण पत्र राजभाषा विभाग की वेबसाइट rajbhasha.nic.in पर सूचना प्रबंधन प्रणाली में भी उपलब्ध है और यह 31 दिसंबर, 2018 को समाप्त तिमाही की प्रगति रिपोर्ट से लागू होगा।


(सुस्मिता भट्टाचार्य)

उप निदेशक (कार्यान्वयन)
दूरभाष: 23438143

प्रतियां:

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (संलग्न सूची के अनुसार)
2. भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, 10 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली
3. संघ लोक सेवा आयोग, शाहजहां रोड, नई दिल्ली
4. भारत का निर्वाचन आयोग, अशोक रोड, नई दिल्ली
5. राजभाषा विभाग के अधीन सभी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय(संलग्न सूची के अनुसार) को इस अनुरोध के साथ कि वे इसे अपने कार्यक्षेत्र में आने वाली सभी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के ध्यान में ला दें।
- ✓ 6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक(एनआईसी) को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु।